(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i))

Government of India
Ministry of Science and Technology
Department of Science and Technology

New Delhi – 110016
Dated : 28th October , 2005

Notification

G.S.R. 398 dated 12-11-2005 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the post of Senior Adviser in the Department of Science and Technology under the Ministry of Science and Technology, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Department of Science and Technology (Senior Adviser) Recruitment Rules, 2005.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.- The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications.- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications. – No person,-

(a) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from, the operation of this rule.

5. Power to relax .- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. -Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

1	2	3
Name of post.	**Number of post.**	**Classification**
Senior Adviser.	1 (one) (2005) • Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'A', Gazetted, Non-Ministerial.
4	5	6
Scale of pay.	**Whether selection post or non-selection post.**	**Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.**
Rs.22400-525-24500/-	Not applicable.	Yes.
7	8	9
Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruitment.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee.**
Not exceeding 54 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of the applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in	**1. Essential Qualifications:** (i) Master's Degree in Science or Bachelor's Degree in Engineering/Technology from a recognized University, or (ii) At least twenty years of experience in Research and Development/Academic Institutions and/or Science and Technology Organizations out of which at least ten years should be in planning, administration, development of organization, and coordination of Science and Technology Programmes.	Not applicable.

Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**2. Desirable Qualifications :** (a) Doctorate Degree in Science or Master's Degree in Engineering/Technology. (b) Seven years experience in the scale of pay of Rs. 18400-22400. (c) Possess excellent leadership qualities and training in Science and Technology and competent to handle independent responsibilities at a senior level. (d) Comprehensive experience-profile of evolving, managing, and developing major programmes in the area of Science and Technology which should include : (i) Science and Technology Governance, Policy and Planning at the Apex Level, (ii) Promotion of Basic Research and Development and Human Resource Development, (iii) Issues related to Scientific institution building, nucleation and growth of new Science and Technology institutions and research facilities, (iv) Inter-departmental and inter-institutional coordination and cooperation in Science and Technology, (v) Public-Private partnerships in Science and Technology. **Note 1.** The area of study/ specialization and experience required shall be indicated at the time of filling of the post. **Note 2.** Qualifications are relaxable at the discretion of the Search-cum-Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.	

10	11	12
Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by deputation (including short term contract) / grades from which deputation to be made.**
One year for direct recruit.	Deputation (including short-term contract)/ absorption, failing which by direct recruitment.	**Deputation (including short-term contract)/absorption-** Officers under the Central/State Governments / Union Territories / Recognized Research Institutions/ Public Sector Undertakings

		/Semi-Government Organizations: (a) holding analogous post on a regular basis or officers with a minimum of three years regular service in the grade of Rs.18400-22400 in their parent cadre/department/organization; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed as under- **(1) Essential Qualifications:** As indicated in column 8. **(2) Desirable Qualifications :** As indicated in column 8. **Note-1** Scientist 'G' working in the Department of Science and Technology and possessing the specified qualifications and experience shall also be eligible to be considered for appointment on deputation. **Note-2** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central or State Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract)/absorption shall be, the same as specified in column 7.

13	14	
Composition of the Selection Committee/Search Committee	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**	
The Composition of Selection Committee / Search Committee shall be decided in consultation with the Department of Personnel and Training on each occasion.	Exempted from the purview of Union Public Service Commission vide Department of Personnel and Training notification number.39018/2/86 Estt.(B) dated 01.04.1987.	

[F.No. A. 01/57/2004 Admn.I(A)]

(J.K.Trikha)
Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
New Delhi – with Hindi version.

Copy to :-

1. The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur Hose, Shahjahan Raod, New Delhi
2. The Department of Personnel & Training, Estt. R.R. Section, North Block, New Delhi
3. The Ministry of Law & Justice (Legislative Department), Leg.I Section, Shastri Bhawan, New Delhi with reference to their Dy. No. 3626/05 SRO dated 23.9.2005
4. The Official Language Division, Ministry of Law & Justice, Translation-I Section, Indian Law Institute Building, Bhagwan Dass Road, New Delhi with reference to their No. 308/2005 (विधायी-1अनु.) dated 27.10.2005 .
5. The Department of Parliamentary Affairs, New Delhi.
6. Guard File.
7. Spare copies (25).

(J.K.Trikha)
Under Secretary to the Govt. of India

भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

अप्रैल 28,

नई दिल्ली, तारीख , / 2005

अधिसूचना

सा.का.नि. 398 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ज्येष्ठ सलाहकार पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (ज्येष्ठ सलाहकार) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. <u>व्यावृत्ति</u> : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछ्डे.वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

"अनुसूची"

<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>पद का नाम</td><td>पदों की संख्या</td><td>वर्गीकरण</td></tr>
<tr><td>ज्येष्ठ सलाहकार</td><td>1 (एक)
(2005)

* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</td><td>साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय</td></tr>
<tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>वेतनमान</td><td>चयन अथवा अचयन पद</td><td>सेवा में जोडे गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं</td></tr>
<tr><td>22400-525-24500 रुपये</td><td>लागू नहीं होता</td><td>हां</td></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा</td><td>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं</td><td>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।</td></tr>
<tr><td>54 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)
टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। नकि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्धाख खंड,</td><td>1. आवश्यक अर्हताएं :
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि, या
(ii) अनुसंधान और विकास/शैक्षिक संस्थाओं और / या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संगठनों में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दस वर्ष का अनुभव संगठन के नियोजन, प्रशासन, विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के समन्वय में होना चाहिए।

2. वांछनीय अर्हताएं :
(क) विज्ञान में डाक्टरेट उपाधि या</td><td>लागू नहीं होता</td></tr>
</table>

हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि, (ख) जो 18400-22400 रुपये के वेतनमान में सात वर्ष का अनुभव रखते हों, (ग) जो उत्कृष्ट नेतृत्व संबंधी क्वालीटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण रखता हो तथा ज्येष्ठ स्तर पर स्वतंत्र उत्तरदायित्वों को संभालने में सक्षम हों। (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, उनका प्रबंध करने और विकास करने का व्यापक अनुभव-पार्श्व जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिए: (i) शीर्ष स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालन, नीति और नियोजन, (ii) आधारभूत अनुसंधान और विकास तथा मानव संसाधन विकास का संवर्धन, (iii) वैज्ञानिक संस्था निर्माण, नाभकीयकरण तथा नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के विकास तथा अनुसंधान सुविधाओं से संबद्ध मुद्दे (iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अन्तर - विभागीय, अन्तर-संस्थागत समन्वय और सहकारिता, (v) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पब्लिक प्राइवेट भागीदारी टिप्पण 1. अपेक्षित अध्ययन/विशिष्टता और अनुभव का क्षेत्र पद के भरे जाने के समय उपदर्शित किया जाएगा। टिप्पण 2. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में छानबीन-सह-चयन समिति के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	

10	11	12
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न् पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता**	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।**
सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों /अर्ध-सरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी (क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने मूल काडर /विभाग/संगठन में 18400-22400 की श्रेणी में न्यूनतम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो नीचे विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों- (1) आवश्यक अर्हताएं : जैसा कि स्तंभ 8 में उपदर्शित है (2) वांछनीय अर्हताएं : जैसा कि स्तंभ 8 में उपदर्शित है टिप्पण 1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत वैज्ञानिक 'छ और जो विनिर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, भी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा वही होगी, जो स्तंभ 7 में विनिर्दिष्ट की गई है।

13	14	
चयन समिति / छानबीन समिति की संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**	
चयन समिति/छानबीन समिति की संरचना प्रत्येक अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से विनिश्चित की जाएगी।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या 39018/2/86 स्थापना (बी) तारीख 1.4.1987 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र से छूट प्राप्त है।	

फाइल सं.ए.01/57/2004 प्रशा.I(ए)

(जे.के.तरिखा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना भर्ती नियम अनुभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), विधि.I अनुभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली डायरी सं.1626/05-..........तारीख 23.9.05 के संदर्भ में ।
4. राजभाषा प्रभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, अनुवाद I अनुभाग, इंडियन लॉ इन्स्टिच्यूट बिल्डिंग, भगवान दास रोड, नई दिल्ली उसके सं. 308/2005 ....तारीख 27.10.05 के संदर्भ में।
5. संसदीय कार्यालय विभाग, नई दिल्ली।
6. गार्ड फाईल।
7. अतिरिक्त प्रतियां(25)।

(जे.के.तरिखा)
अवर सचिव, भारत सरकार